झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम (बजट)सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार,दिनांक–..... 23 फाल्गुन,1943(श०) को 14 मार्च,2022(ई०) झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे।

कमांक	विभागों को भेजी गई सां०सं	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
क०–02 अ०सू०–12 (उत्तर मुद्रित)		श्री बंधु तिर्की	पदावनत करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22/02/22
145–अ०सू०–21		श्री बिरंची नारायण	C.C.T.V कैमरा लगवाना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	02/03/22
146–अ०सू०–14		श्री विनोद कुमार सिंह	आश्रितों को मुआवजा देना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	25/02/22
147–अ०सू०–34		श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	M.A.C.P का लाभ देना।	वित्त	05/03/22
148–अ०सू०–31		श्री अमित कुमार मण्डल	कार्रवाई करना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	05/03/22
149–अ०सू०–38		श्री सरयू राय	स्थानीय नीति लागु करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाष	07/03/22
150–अ०सू०–13		श्री बंधु तिर्की	प्रोन्नती पर विचार	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	05/02/22
151–अ०सू०–33		श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	पदोन्नती पर विचार करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05/03/22
152–अ०सू०–29		श्री प्रदीप यादव	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	वित्त	05/03/22
153–अ०सू०–37		श्री सरयू राय	क्षेत्रिय भाषा की की सूची में शामिल करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07/03/22

कृ०पृ०उ०.....

01	02	03	04	05	06
154	अ०सू०-22	श्री बिरंची नारायण	विधि व्यवस्था सुदृढ़ करना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	02/03/22
155	अ०सू०-41	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	CBI जाँच कराना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	08/03/22
156	अ०सू०-30	श्री प्रदीप यादव	SC/ST को ऋण दिलाना।	वित्त	05/03/22
157	अ०सू०-42	श्रीमती पूर्णिमा निरज सिंह	प्रोन्नति देना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	09/03/22
158	अ०सू०-04 (उत्तर मुद्रित)	श्री कमलेश कुमार सिंह	भाषा को सम्मिलित करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	17/02/22
159	अ०सू०-26	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता	शैक्षणिक संस्थाएँ खोलना।	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी	02/03/22

नोट :- अ०सू०-12 सदन द्वारा दिनांक-07 मार्च, 2022 से दिनांक-14 मार्च, 2022 के लिए स्थगित।

नोट :- अ०सू०-**34**, वित्त विभाग के ज्ञापांक:-**40**/वि०, राँची, दिनांक-**08-03-2022** के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानान्तरित।

नोट :-अ०सू०-**31**, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक-**953**, दिनांक-**07-03-2022** के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक-14 मार्च,2022

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-06/2020-...1249.....वि०स०,राँची,दिनांक-11/03/22.....

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/2022
(अनुप कुमार लोल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-06/2020-...1249.....वि०स०,राँची,दिनांक-11/03/22.....

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/2022
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा०वि०स०(प्रश्न)-06/2020-...1249...वि०स०,राँची,दिनांक-11/03/22.....

प्रतिः- कार्यवाही शाखा बेवसाईट शाखा, जे०भी०एस० टी०भी शाखा/ऑनलाईन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

11/03/2022
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

पाण्डेय/-

11/03/22

पदावनत करना ।

उत्तर मुद्रित

'क' 02. श्री बंधु तिर्की --क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीधी नियुक्ति एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त हुए चतुर्थ वर्ग कर्मियों को प्रोन्नति दिये जाने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि चतुर्थ वर्ग में सीधी एवं अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को सम्पूर्ण सेवाकाल में दी जानेवाली प्रोन्नति से अधिक प्रोन्नति दिये जाने से सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रोन्नति की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए नियम विरूद्ध प्रोन्नति पाने वाले कर्मियों को चिन्हित कर पदावनत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-1749, दिनांक 27 मार्च, 2010 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग हेतु ''झारखण्ड राज्य लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2010'' तथा कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-5028, दिनांक 15 जून, 2016 द्वारा समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के लिए ''झारखण्ड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्तें) नियमावली, 2016'' का गठन किया गया है ।

उक्त नियमावलियों में निम्नवर्गीय लिपिक के 15 प्रतिशत पदों पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखने वाले समूह-'घ' के योग्य कर्मियों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

किसी पद पर प्रोन्नति संबंधित सेवा/संवर्ग के सेवाशर्त्त एवं प्रोन्नति नियमावली के प्रावधानों के आलोक में प्रदान की जाती है । सेवा/संवर्ग के सेवाशर्त्त एवं प्रोन्नति नियमावली में विहित पदसोपान के अन्तर्गत ही प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

---

(145)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्यभर में विगत–2 वर्षों में 3451 से अधिक हत्याएं और 3154 से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं हो चुकी है और कुल 114000 से अधिक अपराध घटित हुए है;	झारखण्ड राज्य में विगत 02 वर्षों में घटित अपराधों की कुल संख्या–1,24,593 है। शीर्ष | 2020 | 2021 | कुल हत्या | 1854 | 1839 | 3693 दुष्कर्म | 1796 | 1617 | 3413 जिला बोकारों में विगत 02 वर्षों में 113 हत्याएँ एवं 131 दुष्कर्म की घटनाएँ घटित हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में राज्य के सभी थानों में और सभी 24 जिलों के महत्वपूर्ण चौक–चौराहों तथा पर्यटन स्थलों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा का अधिष्ठापन अब तक नहीं किया गया है;	1. राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु JAP-IT से प्राप्त विस्तृत कार्य योजना (DPR) के आधार पर वर्तमान में 334 पुलिस थानों में कुल 5310 CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु ₹ 78,08,63,894/– (अठत्तर करोड़ आठ लाख तीरसठ हजार आठ सौ चौरानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। सभी थानों में CCTV कैमरा अधिष्ठापन का कार्य झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के द्वारा निविदा के माध्यम से किया जाना है। 2. राज्य के 24 जिलों में से केवल राँची जिला में Safe city project के तहत शहर के चौक–चौराहों पर CCTV कैमरा अधिष्ठापित किया गया है। 3. पर्यटन स्थलों में CCTV कैमरा का अधिष्ठापन पुलिस मुख्यालय झारखण्ड, राँची से संबंधित नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विधि–व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से झारखण्ड के सभी पुलिस स्टेशनों, सभी 24 जिलों के महत्वपूर्ण चौक–चौराहों एवं अतिविशिष्ट क्षेत्रों के साथ–साथ राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में उच्च स्तर का (एचडी) सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०–(अल्प सूचित)–805/2022–1067/ राँची, दिनांक– 13/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–820, दिनांक–02.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में 2016 से 2021 तक गाँव लिंचिंग की 58 घटनाएँ हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक राज्य में वर्ष 2016 से 2021 तक मॉब लिंचिंग की कुल 46 (छियालीस) घटनाएँ हुई है, जिसकी वर्षवार सूची निम्नवत है :– वर्ष – मॉब लिंचिंग की घटनाएँ 2016 – 04 2017 – 16 2018 – 04 2019 – 09 2020 – 05 2021 – 08 कुल – 46
2. क्या यह बात सही है कि करियातपुर (हजारीबाग) में रूपेश पाण्डेय एवं बगोदर (गिरिडीह) के खेतकों में सुनील पासी की हत्या हो गई है;	महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–170, दिनांक–11.03.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही थाना के करियातपुर में रूपेश पाण्डेय की हत्या हुई है, जिसमें बरही थाना काण्ड सं०–59/22, दिनांक–07.02.2022 धारा–147/148/149/341/323/302/109/120बी० भा०द०वि० दर्ज की गयी है। अब तक के अनुसंधान से यह काण्ड मॉब लिंचिंग से संबंधित प्रतीत नहीं होता है। काण्ड अनुसंधान अंतर्गत है। गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर थाना काण्ड सं०–234/21, दिनांक–03.12.2021 धारा–302/34 भा०द०वि० दर्ज की गयी है। जिसमें सुनील पासी की हत्या हुई है। इस काण्ड में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा आरोप पत्र समर्पित किया गया है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है।"
3. क्या यह बात सही है कि मॉब लिंचिंग में अब तक किसी को सजा नहीं हुई है साथ ही पीडितों को मुआवजा नहीं मिला है;	अस्वीकारात्मक। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में शामिल कुल–51 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हुई है एवं पीड़ितों को 19,90,000/– (उन्नीस लाख नब्बे हजार) रू० मुआवजा दिया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषियों को त्वरित सजा दिलाने व मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही थाना के करियातपुर में रूपेश पाण्डेय की हत्या हुई है, जिसमें बरही थाना काण्ड संख्या–59/22, दिनांक 07.02.2022 दर्ज की गई है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है। गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर थाना काण्ड संख्या–234/2021. दिनांक 03.12.2021 दर्ज की गयी है, जिसमें सुनील पासी की हत्या हुई है। इस काण्ड में 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा आरोप पत्र समर्पित किया गया है, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–07/2022....1066....../ राँची, दिनांक–....13/03.../2022 ई0
प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–488/वि०स०, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

(148)

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जाने अल्प–सूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–31, का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2019–20, 20–21 एवं 21–22 माह जनवरी तक A.C.B द्वारा घूस लेते हुए पकड़े गये लोकसेवकों को A.C.B द्वारा साठ दिनों के अन्दर चार्जसीट जमा नहीं करने के कारण A.C.B कोर्ट में जमानत मिल जाता है ?	अस्वीकारात्मक। वर्ष 2019–20, 20–21 एवं 21–22 (माह जनवरी तक) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 177 (एक सौ सतहत्तर) काण्ड दर्ज कर लोक सेवकों को घुस लेते गिरफ्तार किया गया। इनमें से 02 काण्डों को छोड़कर (जिनकी 60 दिनों की समयावधि पूरी नहीं हुई है) शेष काण्डों में 60 दिनों के अन्दर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। इस प्रकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची के द्वारा ससमय आरोप पत्र जमा नहीं करने के कारण किसी अभियुक्त की जमानत नहीं हुई है।
2. क्या यह बात सही है कि पकड़े गये लोक सेवक को अधिकतर मामलों में जमानत के पश्चात पद पर तुरन्त बहाल कर दिया जाता है ?	A.C.B द्वारा पकड़े गये सरकारी सेवक को न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के पश्चात् उनके द्वारा विभाग/कार्यालय में योगदान देने के उपरान्त झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9 (3) (i) के तहत योगदान स्वीकृत किया जाता है। तत्पश्चात् उक्त नियमावली के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत निर्णय लेते हुए योगदान की तिथि से पुनः निलंबित किये जाने का प्रावधान है।

कृ0पृ0उ0

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाना चाहती है कि वर्ष 2019 से जनवरी माह 2022 तक कितने मामले दर्ज किये गये तथा इन पर किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, नहीं, तो क्यों ?	वर्ष 2019 से माह–जनवरी, 2022 तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज ट्रैप काण्डों की विवरणी निम्न प्रकार है :–				
	क्र0	वर्ष	दर्ज ट्रैप काण्ड	निष्पादित काण्ड	लंबित काण्ड
	1	2019	66	66	00
	2	2020	57	57	00
	3	2021	49	49	00
	4	2022 (जनवरी तक)	05	03	02 (अनुसंधानान्तर्गत)
	5	कुल	177	175	02

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी)।

ज्ञापांक–02/नि0वि0/विधान सभा प्रश्न–01/2022...382...राँची, दिनांक 11/03/2022/

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को 200 प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव शंकर प्रसाद सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

(149)

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–38 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार राज्य की स्थानीयता तय करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाना चाहती है;	वस्तुस्थिति यह है कि नियोजन में "स्थानीय व्यक्ति" की परिभाषा के संबंध में राज्य सरकार की नीति को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर दो जनहित याचिकाओं WP(PIL) 4056/2002 एवं 3912/2002 में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय खंड पीठ द्वारा सुनवाई के बाद दिनांक–27.11.2002 को निरस्त कर दिया गया और "स्थानीय व्यक्ति" को पुनः परिभाषित करने तथा स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने के मामले में सरकार से निर्णय लेने की अपेक्षा की गई। कार्मिक विभागीय संकल्प सं0–3198, दिनांक–18.04.2016 द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान संबंधी नीति संसूचित है। झारखण्ड राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुर्नसमीक्षा हेतु एक त्रि–सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने समय–समय पर राज्य की स्थानीय नीति तय किया है और उसमें संशोधन भी किया है, जो वर्तमान सरकार को स्वीकार नहीं है;	
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की स्थानीय नीति के संबंध में दायर मुकदमों में दिये गये फेसले की न्यायिक समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई उपेक्षित है;	
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति अविलम्ब लागू करने अथवा न्यायिक निर्णयों की समीक्षा के नतीजों के अनुरूप आवश्यक बदलाव कर इसे लागू करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–26 / 2022 का0–1580 / रांची, दिनांक 11/03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–1027, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.3.22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(150)

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस में सिपाही से लेकर डी0एस0पी0 रैंक के अधिकारियों की प्रोन्नति नहीं हो रही है तथा प्रोन्नति से भरे जाने वाले आई0पी0एस0 अधिकारियों के 24 पद वर्तमान में खाली है;	स्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–6752, दिनांक–24.12.2020 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गयी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रोन्नति पर से रोक हटाने के पश्चात प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा। भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु चयन वर्ष–2017, 2018, 2019 एवं 2020 के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक–28.06.2021 को राज्य सरकार के मुख्य सचिव से पत्राचार कर प्रोन्नति वाले आई0पी0एस0 अधिकारियों के पद को भरने का निर्देश दिया था;	स्वीकारात्मक। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के जून, 2021 के पत्र द्वारा चयन वर्ष, 2020 के लिए भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु 06 रिक्तियों की संपुष्टि की गई है। साथ ही **The IPS Appiontment by Promation Regulations, 1955** के तहत अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु चयन वर्ष–2017, 2018, 2019 एवं 2020 के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि सीमित परीक्षा के बाद प्रोन्नति से भरे जानेवाले दारोगा के 1100 से अधिक पद खाली थे जो पिछले तीन वर्षो में प्रोन्नति से भरे जाने वाले दारोगा के रिक्त पद बढ़कर तकरीबन दो हजार हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सीमित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापित पद 1544 के विरूद्ध 395 पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्त किया गया है। पुलिस अवर निरीक्षक के पर पर प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु स्वीकृत 1715 पद के विरूद्ध 772 कार्यरत है तथा कुल 993 पद रिक्त है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डी0एस0पी0 तथा दारोगा जैसे पुलिस अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8002/2022–1031/ राँची, दिनांक– 12/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–489, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

(151)

माननीय स०वि०स० श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह द्वारा दिनांक 14.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–33 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि अधीनस्थ विधान के प्रावधानों के तहत कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं कर सकती है, जो भूतलक्षी प्रभाव से किसी व्यक्ति को अलाभकारी स्थिति में लाता हो;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। निर्गत किये जाने वाले आदेश पर निर्भर करता है कि किसी आदेश का प्रभाव भूतलक्षी होगा अथवा नहीं।
2.	क्या यह बात सही है कि जून–2014 के पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा निर्गत साहित्य भूषण/साहित्यालंकार डिग्री की मान्यता इण्टर (आई०ए०)/स्नातक (बी०ए०) के समतुल्य थी, जिसके आधार पर लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं तथा राज्य में सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–1863, दिनांक–26.02.2015, 4786, दिनांक–01.06.2015, 415, दिनांक–28.01.2022 के आधार पर कार्यरत सरकारी कर्मियों की डिग्री की मान्यता समाप्त कर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। कार्मिक विभागीय पत्रांक–1863 दिनांक–26.02.2015 के द्वारा हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिये जानेवाली उपाधियों यथा प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार की क्रमशः मैट्रिक, आई०ए० एवं बी०ए० के समकक्ष स्थायी मान्यता को दिनांक–26.06.2014 के प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। पुनः विभागीय पत्रांक–4786 दिनांक–01.06.2015 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दिनांक–26.06.2014 के बाद किसी भी सरकारी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति के लिए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं है, चाहे उक्त प्रमाण पत्र दिनांक–26.06.2014 के पूर्व ही क्यों नहीं निर्गत किये गये हों। झारखण्ड विधान सभा के अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–18 से उद्भूत आश्वासन संख्या–02/2021 के अनुपालनार्थ विभागीय पत्रांक–415 दिनांक–28.01.2022 के द्वारा पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक–1863 दिनांक–26.02.2015 एवं पत्रांक–4786 दिनांक–01.06.2015 में संसूचित दिशा–निदेश की अवहेलना कर की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति को रद्द करने एवं संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी पर विधिसम्मत् कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जून–2014 से पूर्व साहित्य भूषण/साहित्यालंकार की डिग्रीधारी सरकारी सेवक को पूर्व की भांति पदोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–07/2022 का०– **1573** राँची, दिनांक–**11.03.2022**

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–976 दिनांक 05.03.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/2022

(ब्रज माधव)

सरकार के अवर सचिव।

(152)

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-14.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-29 का उत्तर प्रतिवेदनः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 तक विभागों द्वारा 69702 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है ।	विभागों द्वारा दो प्रकार के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित की जाती है- 1. केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायता अनुदान संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित विभागों द्वारा सीधे केन्द्र को भेजा जाता है । 2. राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सहायता अनुदान संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित विभागों द्वारा महालेखाकार(ले0 एवं हक0) को भेजा जाता है । महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखंड, रॉची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 30.06.2020 (वित्तीय वर्ष 2018-19 तक) को लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की कुल राशि 69647.64 करोड़ रूपये थी तथा दिनांक 28.02.2022 (वित्तीय वर्ष 2018-19 तक) को कुल राशि 68942.12 करोड़ रूपये है ।
2.	क्या यह बात सही है कि इस वित्तीय अनुशासन के उल्लंघन से केन्द्र द्वारा संचालित कई योजनाओं का आवंटन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही कई वित्तीय अनियमित्ताओं को जन्म दे रही है।	केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित विभाग द्वारा सीधे केन्द्र सरकार को भेजी जाती है । लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के कारण केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं का आवंटन प्रभावित हुआ है अथवा नहीं, इसकी जानकारी वित्त विभाग को नहीं है। इस संबंध में सभी विभागों से सूचना मांगी गयी है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिम्मेदार पदाधिकारी पर कठोर अनुशासनात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	विभिन्न विभागों द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जाता है । यह एक सतत् प्रक्रिया है । वित्त विभाग द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, झारखंड, रॉची को उपलब्ध कराने एवं उसमें कमी लाने हेतु सभी विभागों को लगातार निदेशित किया जाता है एवं वित्त विभाग के स्तर से समय-समय पर अनुश्रवण किया जाता रहा है। महालेखाकार (ले0 एवं हक0), झारखंड, रॉची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 30.06.2020 (वित्तीय वर्ष 2018-19 तक) को लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की कुल राशि 69647.64 करोड़ रूपये थी तथा दिनांक 28.02.2022 (वित्तीय वर्ष 2018-19 तक) को कुल राशि 68942.12 करोड़ रूपये है । इस प्रकार लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि में कमी हुई है ।

झारखण्ड सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

ज्ञाप सं0:- 10/वि0स0(4) 16/2022 ...42/...वि0... राँची दिनांक 11/03/2022

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 593 वि0स0 दिनांक 01.03.2020 के आलोक में प्रश्नोत्तर की अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

11.03.2022

(अविनाश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव ।

(153)

श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने अधिसूचना संख्या 8630 दिनांक 20.12.2021 द्वारा आदेश निकाल कर भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका आदि भाषाओं को राज्य के कतिपय जिलों में क्षेत्रीय भाषा की मान्यता दिया है, जबकि इसके लिए कोई माँग नहीं की गई थी और न ही कोई सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया था, और बाद में यह आदेश वापस ले लिया;	आंशिक स्वीकारात्मक। भोजपुरी, मगही, मैथिली एवं अंगिका भाषा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित नियमावलियों में पूर्व से सम्मिलित नहीं थी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 8630 दिनांक 20.12.2021 के द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं के संचालन हेतु गठित संशोधित नियमावलियों में जिला स्तरीय पदों के लिए पत्र 2 में जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 8770 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा उक्त सूची को संशोधित किया गया, जिसे अधिसूचना संख्या 953 दिनांक 18.02.2022 द्वारा विलोपित करते हुए जिलावार क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषाओं को पुनः चिन्हित किया गया है। भोजपुरी, मगही एवं अंगिका भाषा को उक्त सूची में कतिपय जिलों के लिए शामिल किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के किसी भी जिला में हिन्दी को वैकल्पिक क्षेत्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है, और न तो हिन्दी भाषियों के लिये जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं को सीखने के लिए कोई व्यवस्था किया है;	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित परीक्षा संचालन नियमावलियों के तहत झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्यस्तरीय एवं जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं में पत्र–1– भाषा ज्ञान में हिन्दी भाषा पूर्व से शामिल है। पत्र–1– भाषा ज्ञान में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा ज्ञान के कुल 120 प्रश्न (कुल पूर्णांक 360 अंक) (प्रत्येक भाषा से संबंधित 60 प्रश्न) निर्धारित है। इस पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़ कर 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि राज्य की किसी भाषा को क्षेत्रीय भाषा को मान्यता देने का आधार क्या है और क्या सरकार हिन्दी भाषी निवासियों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की व्यवस्था करने तथा हिन्दी को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	1. श्री वी0 एस0 दूबे, पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2013 में की गई अनुशंसा के आलोक में छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा से लागू किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में नया पाठ्यक्रम अनुमोदित किया गया था। उक्त पाठ्यक्रम में मुख्य परीक्षा में पत्र–2– 'भाषा एवं साहित्य' के रूप में 100 पूर्णांक का विषय सम्मिलित था, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए निम्नांकित 15 भाषाओं में से 01 भाषा चुनने का विकल्प उपलब्ध था– i. बंगला भाषा एवं साहित्य ii. अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य iii. हिन्दी भाषा एवं साहित्य iv. हो भाषा एवं साहित्य v. खड़िया भाषा एवं साहित्य vi. खोरठा भाषा एवं साहित्य vii. कुरमाली भाषा एवं साहित्य viii. कुँड़ुख भाषा एवं साहित्य ix. मुण्डारी भाषा एवं साहित्य

		x. नागपुरी भाषा एवं साहित्य xi. ओड़िया भाषा एवं साहित्य xii. पंचपरगनिया भाषा एवं साहित्य xiii. संस्कृत भाषा एवं साहित्य xiv. संथाली भाषा एवं साहित्य xv. उर्दू भाषा एवं साहित्य 2. तदोपरांत मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के संकल्प संख्या 259 दिनांक 02.03.2016 के द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित प्रणाली की समीक्षा हेतु तत्कालीन माननीय मंत्री श्री सरयू राय की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति के द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा पत्र–2 'भाषा एवं साहित्य' के पूर्णांक को बढ़ाकर 200 करने की अनुशंसा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0 3143 दिनांक 13.04.2016 के माध्यम से संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के पत्र–2 'भाषा एवं साहित्य' के पूर्णांक को 100 से बढ़ाकर 150 करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में पत्र–2 में हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया एवं संस्कृत भाषाओं को परीक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा राज्यस्तरीय एवं जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं के संचालन हेतु विभिन्न स्तर की परीक्षा संचालन नियमावलियों का गठन किया गया है। उक्त सभी नियमावली में पत्र–1– 'भाषा ज्ञान' में हिन्दी भाषा पूर्व से शामिल है। पत्र–1– भाषा ज्ञान में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा ज्ञान के कुल 120 प्रश्न (कुल पूर्णांक 360 अंक) निर्धारित है। नियमावली के पत्र–2 में राज्य स्तरीय पदो के लिए चिह्नित 12 क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं (यथा–उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी (मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी /पंचपरगनिया/उड़िया) भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है। जिला स्तरीय पदों के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के अधिसूचना संख्या 953 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/वि0स0–06–18/2022 का0.....1559...../राँची दिनांक– 11 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1029 दिनांक 07.03.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/2022

सरकार के उप सचिव।

(154)

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के 40 ऐसे की–पोस्ट समादेष्टा से लेकर डीजी रैंक तक के महत्वपूर्ण पद है जहाँ आई0पी0एस0 पदाधिकारी का पदस्थापन अनिवार्य है, इनमें 29 पद इनमें मुख्य रूप से (1 डीजी, 3 ए0डी0जी0, 5 आईजी, 10 डीआईजी0, 5 एस0पी0 व 5 कमांडेंट) पूरी तरह खाली है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की काफी कमी है। इनमें से जिला स्तर में रिक्त पदों पर पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि विधि–व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसके उपरांत शेष पदाधिकारियों को मुख्यालय के रिक्त पदों पर पदस्थापन करते हुए उनसे कार्यों के अतिरिक्त अन्य पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है, जिससे कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है। राज्य में प्रतिनियुक्त केन्द्रीय पुलिस संगठन के पदाधिकारियों से भी विधि–व्यवस्था तथा नक्सल विरोधी अभियान का कार्य लिया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के महत्वपूर्ण पद खाली रहने से 1,14,000 से अधिक कुल अपराध हुए है;	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त रिक्त पड़े पदों पर अधिकारियों का पदस्थापन करते हुए राज्य की चरमराई विधि–व्यवस्था को ठीक करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–13 / वि०स०–102 / 2022–1033 / राँची, दिनांक– 12/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–822, दिनांक–02.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

(155)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–41 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत नावा बाजार थाना प्रभारी स्वर्गीय लालजी यादव की मृत्यु 10 जनवरी, 2022 को संदेहास्पद परिस्थितियों में हो गई थी;	स्वीकारात्मक। इस संबंध में नावाबाजार थाना यू०डी० कांड संख्या–01/22, दिनांक–11.01.2022 दर्ज किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि घटना से 6 दिन पूर्व जिला परिवहन पदाधिकारी, पलामू से वाहन जाँच के क्रम में मतदेय होने के कारण, आरक्षी अधीक्षक, पलामू के द्वारा अभद्र व्यवहार का आरोप लगाकर स्वर्गीय लालजी यादव को निलंबित कर दिया गया था;	अनुशासनिक आधार पर निलंबन की कार्यवाही की गई थी।
3	क्या यह बात सही है कि स्वर्गीय लालजी यादव अपने निलंबन को लेकर आहत थे तथा इस घटनाक्रम से काफी तनाव में थे;	यू०डी० काण्ड की जाँच की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्वर्गीय लालजी यादव की मृत्यु के पूरे प्रकरण की जाँच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	सम्प्रति इस प्रकार का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–10/वि०स०–702/2022–1035/ राँची, दिनांक– 13/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1118, दिनांक–08.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

(156)

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 14.03.2022 को
पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 30 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि वर्ष 2020–21 में एस0सी0–एस0टी0 को बैंकों द्वारा ऋण देने का लक्ष्य 94,493 करोड़ था, जिसे बैंकों ने वर्ष 2021–22 में घटाकर 84,473 करोड़ कर दिया है;	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड, राँची द्वारा बताया गया है कि आरबीआई के नवीनतम दिशा–निर्देश के अनुसार अपने कुल ऋण का 40% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र (Priority Sector) को देने हेतु लक्ष्य निर्धारित है एवं कमजोर वर्ग के लोगों (Weaker Section Advance) को दिनांक 31.03.2022 तक के लिए लक्ष्य कुल ऋण का 11% है। इसके अन्तर्गत ST/SC के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। ज्ञातव्य हो कि ST/SC समुदाय को दिया जानेवाला ऋण Priority Sector के Weaker Section Advance के अंतर्गत आता है। प्रश्न में वर्णित राशि 94,493 करोड़ रु0 तथा 84,473 करोड़ रु0 क्रमशः वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए ST/SC वर्ग को बैंकों द्वारा ऋण देने का लक्ष्य नहीं था, यद्यपि उक्त राशि उस वर्ष में बैंकों द्वारा वितरित कुल अग्रिम राशि (Gross Credit) थी। वर्ष 2020–21 में 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही में राज्य का कुल अग्रिम (Gross Credit) रु0 94,493.93 करोड़ था, जिसमें ST/SC वर्ग को रु0 10,464.48 करोड़ (11.07%) का ऋण वितरण किया गया था तथा वर्ष 2021–22 में 30 सितम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही में राज्य का कुल अग्रिम (Gross Credit) रु0 84,473.78 करोड़ था, जिसमें ST/SC वर्ग को रु0 7,196.52 (8.75%) करोड़ का ऋण वितरण किया गया था। इस तरह से कुल अग्रिम (Gross Credit) एवं ST/SC को वितरित ऋण में कमी आई थी।
2.	क्या यह बात सही है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष SLBC (राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति) की रिपार्ट के अनुसार ST&SC के ऋण वितरण में अब तक 3,267 करोड़ की गिरावट आयी है;	ST/SC के लिए ऋण प्रवाह में सितम्बर, 2020 तिमाही की तुलना में सितम्बर, 2021 तिमाही में रु0 3,267.96 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई थी, जबकि ST/SC के लिए ऋण प्रवाह में दिनांक 31.12.2020 की तुलना में 31.12.2021 तक 800.00 करोड़ रुपये (11.67%) की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ST&SC वर्ग के अधिक लोगों को समुचित मात्रा में ऋण मिले एवं बैंकों के इस उदासीन रवैये पर ठोस वैकल्पिक रास्ता ढूढ़ना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2021 को अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के बिन्दु पर बैठक की गई थी। उक्त बैठक में सभी बैंकों को जनजाति समुदाय के लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इस क्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से CNT/SPT Act के दायरे में आने वाले ST/SC/OBC समुदायों को बैंकों से वित्तीय ऋण विस्तार करने के संबंधित बिन्दुओं पर उचित दिशा निर्देश एवं स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई थी, जिस पर वित्त विभाग द्वारा अर्द्ध सरकारी पत्रांक 86 दिनांक 11.02.2022 के माध्यम से राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को कार्रवाई हेतु पत्राचार किया गया है। पुनः दिनांक 24.01.2022 को माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय ऋण योजना (Annual Credit Plan) एवं वित्तीय समावेषण की समीक्षा सभी बैंकों के साथ किया गया एवं Annual Credit Plan (ACP) के अन्तर्गत Priority Sector lending में ऋण प्रवाह बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर ST&SC समुदाय के लोगों के बीच ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांकः 10 / वि0स0(4)–17 / 2022:109 / राँची, दिनांकः 11/03/2022 /

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 974 / वि0स0 दिनांक 05.03.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11-03-2022

(कौशल किशोर झा)
सरकार के अवर सचिव।

(157)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–42 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–6752, दिनांक–24.12.2020 के आलोक में राज्य के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है, कि उक्त आदेश के बावजूद विभाग द्वारा कनीय प्रवर कोटि (JSG) से उप सचिव (ADM) रैंक तथा समाज कल्याण विभाग में प्रोन्नति दी गई है;	स्वीकारात्मक। कनीय प्रवर कोटि (JSG) से उप सचिव (ADM) रैंक पर प्रोन्नति का मामला न्यायिक वाद से आच्छादित होने के कारण इस मामले में प्रोन्नति प्रदान किया गया। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अन्तर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति संबंधी सभी प्रक्रिया दिनांक–24.12.2020 से पूर्व ही हो चुकी थी। दिनांक–27.01.2021 को इससे संबंधित अधिसूचना निर्गत की गयी।
3	क्या यह बात सही है, कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के वाद सं0–W.P(S) No-1390, 1422, 3405, 3843 of 2021 द्वारा प्रोन्नति पर लगाई गई रोक को निरस्त करने सम्बंधित आदेश निर्गत होने के पश्चात् भी आज तक राज्य में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रोन्नति का मामला लंबित है;	वस्तुस्थिति यह है कि वाद सं0–W.P(S) No-1390 of 2021 एवं संलग्न वादों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक–13.01.2022 को प्रोन्नति पर रोक संबंधी पत्र को निरस्त कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रोन्नति पाने योग्य राज्य के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–29/2022 का0–1615/ रांची, दिनांक 12.03.2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–1155, दिनांक–09.03.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

भाषा को सम्मिलित करना ।

उत्तर मुद्रित

158. श्री कमलेश कुमार सिंह--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन कर जिला स्तरीय परीक्षा में क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषाओं का समावेश किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में राज्य स्तरीय परीक्षाओं में भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषा का समावेश नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन कर हिन्दी, भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषा को सम्मिलित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची की अधिसूचना संख्या-953 दिनांक 18 फरवरी, 2022 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए पत्र 2 हेतु जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है;

उक्त अधिसूचना के अनुसार भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा निम्नलिखित जिलों के लिए चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं की सूची में शामिल है:-

क्र०	चिन्हित क्षेत्रीय भाषा	जिला
1.	भोजपुरी	पलामू एवं गढ़वा
2.	मगही	लातेहार, पलामू, गढ़वा एवं चतरा
3.	अंगिका	दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ गोड्डा एवं देवघर

(2) स्वीकारात्मक ।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं के लिए निम्न परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों का गठन किया गया है;

(i) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021

(ii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टरमीडिएट/10+2) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021

(iii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इन्टमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्त्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली 2021

(iv) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021

(v) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर/तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021

उपर्युक्त गठित परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों में राज्य स्तरीय पदों के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के पत्र-2 में चिन्हित 12 क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं(यथा-संथाली/उर्दू/बंगला/मुण्डारी/(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँड़ुख(उरांव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया) भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है ।

उपर्युक्त गठित परीक्षा संचालन (संशोधन) नियमावलियों में चिहिन्त क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को सम्मिलित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

---

(159)

डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–26 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लाभ को राज्य सरकार द्वारा भी लागू किया गया है ;	**स्वीकारात्मक।** • झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा किसी स्थापना में सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में अधिनियम निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभिन्न आरक्षित वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास के लिए कल्याण कोष से योजनाओं तथा आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है ;	**स्वीकारात्मक।** • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत विभिन्न आरक्षित वर्गों यथा– अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS) के लोगों के कल्याण के लिए जनकल्याणकारी योजनाएँ चलाने तथा प्रमण्डल स्तर पर आवासीय शैक्षणिक संस्थाएँ प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	• वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

ज्ञापांक –*म०म०स०–05/अ०सू०प्र०–18/2022* 339 / रांची, दिनांक 12 मार्च, 2022 ई०।

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके पत्रांक–821 वि०स०, दिनांक–02.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2022

(अमर कुमार)
सरकार के उप सचिव